रीवा कैम्प

न्यायालय श्रीमान प्रशासकीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर, म०प्र०

रामखेलावन तनय अकाली तेली, निवासी ग्राम खोड़मानी, तहसील हनुमना जिला रीवा, म०प्र० - --निगरानीकर्ता

बनाम

1-रामनारायण ब्रा. तनय श्री सरयू प्रसाद ब्रा. साकिन खोड़मानी, तहसील हनुमना, जिला रीवा, म०प्र०,

2- शासन म०प्र० - -- गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूध्द आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त खटखरी, तहसील हनुमना जिला रीवा म०प्र० के प्र. क्र. 9-अ-12/11-12 व आदेश दिनांक 22. 2. 2013, अन्तर्गतधारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 ई. ।

================================

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1:- यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2:- यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी नं० 168/2 रकबा 1.00 एकड़ भूमि शासन म०प्र० की भूमि का सीमांकन आवेदक के पक्ष मे किया है, जो कि नायब तहसीलदार हनुमना को कोई भी अधिकारिता नही थी, फिर भी विधि विपरीत सीमांकन का आदेश निगरानीकर्ता के आपत्ति के उपरांत जो आदेश पारित किया गया है, वह आदेश दिनांक 22. 2. 13 निरस्त किये जाने योग्य है ।

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म०प्र०
ग्वालियर

(207)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0/2158–III/2013 जिला–रीवा

रामखेलावन तेली/रामनारायण ब्रा0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आई0एम0पी0 पटेल उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार, तहसील हनुमना के प्रकरण क्रमांक 09/अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 22.02.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	